न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : नन्दकिशोर राजोरा, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 86/2022

अपीलांट

1. स्व. राजुराम पुत्र पुनाराम जी, जाति सीरवी निवासी सुरायता तहसील सोजत, जिला पाली

   1/1– किशनलाल पुत्र स्व श्री राजुराम

   1/2– जसराज पुत्र स्व श्री राजुराम

   1/3– रामलाल पुत्र स्व श्री राजुराम

   1/4– मनीष कुमार पुत्र स्व श्री राजुराम

   1/5– हिरालाल पुत्र स्व श्री राजुराम

   1/6– भानी पत्नी स्व श्री राजुराम जाति सीरवी, निवासी सुरायता, तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान

2. चेनाराम पिसरान पुनाराम जी, जाति सीरवी, निवासी सुरायता, तहसील सोजत जिला पाली

बनाम

रेस्पोडेन्ट

1. लालाराम पुत्र लुम्बाराम जी
2. हेमाराम पुत्र दुर्गाराम जी
3. दीपाराम पुत्र दुर्गाराम जी
4. भूरकी पत्नी धनाराम जी
5. छलाराम पुत्र धनाराम जी
6. तुलसाराम पुत्र धनाराम जी
7. बुधाराम पुत्र धन्नाराम जी

   जातिगण सीरवी, निवासी सुरायता, तहसील सोजत, जिला पाली
8. चुन्नीलाल पुत्र बोहराराम
9. रूपाराम पुत्र बोहराराम
10. रूपाराम पुत्र बोहराराम

    जतिगण सीरवी, निवासीगण–सुरायता तहसील सोजत, जिला पाली
11. तहसीलदार सोजत, जिला पाली

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

उपस्थित :–

श्री मांगीलाल प्रजापत, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स

श्री गजेन्द्र दवे, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 8 व 9 की ओर से

शेष रेस्पोडेण्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित

–: निर्णय :–

दिनांकः– 09/11/2022

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के सहायक कलेक्टर सोजत द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 72/2019 बउनवान चुन्नीलाल बनाम राजुराम में पारित निर्णय दिनांक 19.11.2020 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। शेष रेस्पोडेण्ट बावजूद सम्मन तामिल के अनुपस्थित रहने कारण शेष रेस्पोडेण्ट के विरूद्ध प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाता है। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

पत्रावली में पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 पर उपस्थित उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। बहस पर मनन किया गया। तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। अपीलाण्ट द्वारा अपनी अपील को अन्दर म्याद शुमार करवाने हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया। विधि अनुसार जहां हक हकूकों का प्रश्न अवधारित हो, वहां पर म्याद के तकनीकि बिन्दु को गौण रखते हुए गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना विधि सम्मत माना गया है। इस अनुसार वकील अपीलाण्ट द्वारा परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को पर मनन करने के पश्चात अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के तहत स्वीकार किया जाकर अपीलाण्ट की अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेण्ट संख्या 08 व 09 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि मौजा सुरायता तहसील सोजत के खसरा नम्बर 360 रकबा 20.17 हैक्टर में आवागमन हेतु अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 390 रकबा 1.2900 हैक्टर, खसरा संख्या 391

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

रकबा 0.9700 में से रास्ता प्रदान कराने का निवेदन किया। उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलाण्ट्स के पिता राजूराम को नोटिस जारी किया गया तथा बाद तामिल के एकपक्षीय आदेश पारित की कार्यवाही की गयी। दिनांक 05.03.2022 को अधिवक्ता महेन्द्र नारायण ओझा के जरिये न्यायालय में वकालतनामा पेश करने हेतु अण्डर टेकिंग ली, जबकि न्यायालय में उक्त प्रकरण को लडने के लिए अपीलाण्ट के पिता राजूराम ने अधिवक्ता नियुक्त नहीं किया गया था, लेकिन दौराने प्रकरण राजुराम पुत्र पुनाराम की दिनांक 02.05.2020 को मृत्यु हो जाने से उक्त कार्यवाही राजुराम के विरूद्ध ऐबेट हो गई थी। दिनांक 19.08.2020 को आदेशिका में तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट पेश करने का जिक्र है जबकि मरे हुए काश्तकार के विरूद्ध रिपोर्ट नहीं बनाई जा सकती है उसके उत्तराधिकारियों को रिपोर्ट बनवाए जाने की सूचना नहीं दी गयी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन समस्त तथ्यों पर गौर किए बिना ही जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेण्ट संख्या 08 व 09 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि मौजा सुरायता तहसील सोजत के खसरा नम्बर 360 रकबा 20.17 हैक्टर में आवागमन हेतु अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 390 रकबा 1.2900 हैक्टर, खसरा संख्या 391 रकबा 0.9700 में से रास्ता प्रदान कराने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्वं अप्रार्थी राजुराम की मृत्यु दिनांक 02.05.2022 हो चुकी थी, इसलिए उक्त पत्रावली को श्रीमान के न्यायालय द्वारा अधीनस्थ को पुनः सुनवाई हेतु प्रेषित की जाती है तो रेस्पोडेण्ट को कोई आपत्ति नहीं है।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपंत अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 08 व 09 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि मौजा सुरायता तहसील सोजत के खसरा नम्बर 360 रकबा 20.17 हैक्टर में आवागमन हेतु अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 390 रकबा 1.2900 हैक्टर, खसरा संख्या 391 रकबा 0.9700 में से रास्ता प्रदान

कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय पारित किया गया। अपीलाण्ट के पिता राजूराम की मृत्यु दिनांक 02.05.2020 को हो गयी थी। इस सम्बंध में अपीलाण्ट के पिता का मृत्यु प्रमाण–पत्र की प्रति हाजा न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट के पिता की मृत्यु की स्थिति में उनके कायम मुकामों को बिना सुने ही एकपक्षीय निर्णय पारित किया है। अब हस्तगत प्रकरण में यह कानूनी बिन्दु उद्भूत होता है कि क्या मृतक पक्षकार के विरूद्ध निर्णय पारित किया जा सकता है अथवा नहीं? इस संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 आदेश 22 नियम 4 के अनुसार आदेश 22 नियम 4 उपनियम 3 के अनुसार–

"आदेश 22 नियम 4 उपनियम 3 – जहाँ प्रतिवादी की मृत्यु हो जाने पर विधि द्वारा परिसीमित समय के भीतर वाद को चालू रखने के लिए कोई आवेदन उपनियम 1 के अधीन नहीं किया जाता है , वहां वाद का उपशमन वहां तक हो जायेगा जहाँ तक वाद मृतक प्रतिवादी के विरुद्ध है।"

आदेश 22 नियम 4 उपनियम 3 के विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में अधीनन्थ न्यायालय की पत्रावली का परीक्षण करने पर यह तथ्य स्पष्ट हुआ कि अपीलाण्ट के पिता राजूराम अधीनस्थ न्यायालय में अप्रार्थी संख्या 01 का निधन दिनांक 02.05.2020 को हो गया था एवं रेस्पोडेण्ट्स(प्रार्थी) द्वारा आदेश 22 नियम 4 के पालना में अधीनस्थ न्यायालय में कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया, एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 19.11.2020 को निर्णय मृतक पक्षकार के विरूद्ध पारित किया गया है। जो कि हाजा न्यायालय की राय में उचित प्रतीत नहीं होता है।

इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न मौका–जांच रिपोर्ट जो भू0 अ0 निरीक्षक सुरायता द्वारा तैयार कर तहसीलदार के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को अग्रेषित की गई हैं, का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी/रेस्पोडेन्टगण की भूमि खसरा नंबर 360 में आने जाने हेतु खसरा नंबर 390 व 391 के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं होने का अंकन किया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 19.08.2020 पर अपीलांटगण के हस्ताक्षर नहीं है। जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त मौका रिपोर्ट तैयार करते समय अपीलांटगण को कोई नोटिस या सूचना नहीं दी गई। इस संबंध में राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम–1955 के नियम–69 के अनुसार

"69. Enquiry and disposal of application.- *On receipt of an application .... The Sub-Divisional Officer after affording an opportunity of being heard to the parties and after making such further enquiry, as he thinks necessary, if satisfied that-*

(i) the necessity is absolute necessity and it is not for mere convenient enjoyment of holding; and

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

(ii) particularly in case of a new way through another khatedar's holding, that absence of alternative means of access is provedmay

<u>allow the application. ......</u>"

इस प्रकार नियम 69 के अनुसार स्पष्ट है कि भू अभिलेख निरीक्षक या इससे उपर के अधिकारी द्वारा उभय पक्षों की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिये। अतः विधिवत रूप से तैयार नहीं की गई मौका रिपोर्ट को आधार बनाते हुये सहायक कलेक्टर सोजत द्वारा जो आदेश पारित किया गया है व यथावत रखे जाने योग्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में विधिवत विवेचन किये बिना ही जैर अपील निर्णय पारित किया है। जो कि हाजा न्यायालय की राय में उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा सहायक कलेक्टर सोजत प्रार्थना पत्र संख्या 72/2019 बउनवान चुन्नीलाल बनाम राजुराम में पारित निर्णय दिनांक 19.11.2020 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलाण्टगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 09/11/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नन्दकिशोर राजोरा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी,
पाली